भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1324

उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026

सोमवार, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

रामनाथपुरम में कौशल प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं

1324. श्री नवसकनी के.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की उपलब्धता, पहुंच और पर्याप्तता के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त जिले में युवाओं और उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रशिक्षण अवसंरचना, संकायों की संख्या और पाठ्यक्रम पर्याप्त हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त जिले में नए एनएसटीआई स्थापित करने, मौजूदा आईटीआई को उन्नत करने या नए जमाने के व्यवसायों और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं को शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) उक्त जिले के युवाओं के लिए कौशल विकास संबंधी अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करने, नामांकन में सुधार करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की उपलब्धता एवं सुलभता की समय-समय पर संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से समीक्षा की जाती है, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं तक पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में, देशभर में कुल **13,856 औद्योगिक प्रशिक्षण**

संस्थान (आईटीआई) मौजूद हैं, जिनमें **3,328 राजकीय तथा 10,528 निजी आईटीआई** शामिल हैं। इनमें से रामनाथपुरम जिले में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कुल **07 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)** वर्तमान में प्रचालनरत हैं, जिनमें **03 राजकीय तथा 04 निजी आईटीआई** शामिल हैं। इन आईटीआई में **19 ट्रेडों** में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे जिले के विभिन्न हिस्सों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो रही है। **सत्र 2025-26** के लिए सीटीएस के अंतर्गत आईटीआई-वार सीटों की संख्या, नामांकन तथा रामनाथपुरम जिले में संचालित ट्रेडों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा तमिलनाडु राज्य में **राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई), चेन्नई** तथा **राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई), त्रिची** भी संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में मुख्य रूप से **शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस)** के अंतर्गत अनुदेशक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा चयनित पाठ्यक्रमों में **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)** के अंतर्गत भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इन एनएसटीआई द्वारा संचालित सीटीएस एवं सीआईटीएस पाठ्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख) और (ग): नए आईटीआई की स्थापना तथा वर्तमान आईटीआई में नए पाठ्यक्रम शुरू करना, जिनमें नव युगीन एवं उद्योग-संगत ट्रेडों की शुरुआत, संकाय की तैनाती तथा अवसंरचना का उन्नयन शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है, जबकि संबद्धता मानकों का निर्धारण, पाठ्यक्रम-निर्माण, परीक्षाओं का आयोजन तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करने जैसे नीतिगत विषयों का दायित्व केंद्र सरकार का है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से जब कभी भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उन पर निर्धारित संबद्धता मानकों एवं नियमों के अनुसार जांच कर के निर्णय लिया जाता है।

रामनाथपुरम जिले के राजकीय आईटीआई में परंपरागत ट्रेडों के साथ-साथ उद्योग-संगत एवं उभरते हुए ट्रेड, जैसे एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग तकनीशियन, औद्योगिक रोबोटिक्स एवं डिजिटल विनिर्माण तकनीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रिक वाहन तथा विनिर्माण प्रक्रिया नियंत्रण और स्वचालन सहित अन्य ट्रेडों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन ट्रेडों के पाठ्यक्रमों का उद्योग के परामर्श से समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है, ताकि प्रशिक्षण को बदलती प्रौद्योगिकी तथा श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके।

इसके अलावा, वर्तमान में, रामनाथपुरम जिले में कोई नया राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) स्थापित किए जाने संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ): तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले सहित देशभर में कौशल विकास अवसंरचना को सुदृढ़ करने, नामांकन बढ़ाने, रोजगार योग्यता में वृद्धि करने तथा युवाओं के लिए सतत् रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. प्रधानमंत्री उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास एवं रोजगार योग्यता परिवर्तन (पीएम-सेतु) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी घोषणा वित्त-वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के बजट में की गई थी। इस योजना का कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ है, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी ₹30,000 करोड़, राज्य की हिस्सेदारी ₹20,000 करोड़ तथा उद्योग की हिस्सेदारी ₹10,000 करोड़ निर्धारित है। इस योजना का उद्देश्य देश में आधुनिक प्रयोगशालाओं, उन्नत मशीनों एवं उद्योग-अनुकूल पाठ्यचर्या के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को बढ़ाना है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- आईटीआई एवं एनएसटीआई में प्रशिक्षण प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार करना;
- उद्योग मानकों के अनुरूप आधारभूत संरचना एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;
- विशेष रूप से नवोन्मेषी एवं उभरते क्षेत्रों में उद्योग-अनुरूप दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करना;
- मांग-आधारित कौशल विकास एवं बेहतर रोजगार परिणाम सुनिश्चित करने हेतु उद्योगों के साथ सहभागिता को मजबूत करना; और
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि करना।

इस योजना के अंतर्गत दो घटक शामिल हैं:

क. घटक-I: 1,000 राजकीय आईटीआई (200 हब आईटीआई एवं 800 स्पोक आईटीआई) का हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत उन्नयन, जिसमें स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।

ख. घटक-II: भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एवं लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि, जिसमें वैश्विक सहभागिता के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण हेतु क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने क्षेत्र में उपलब्ध इंडस्ट्री क्लस्टर की आवश्यकता के अनुसार आईटीआई को हब अथवा स्पोक संस्थान के रूप में अभिचिन्हित करें।

(ii) तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियमों एवं मानकों का निर्धारण करने वाले शीर्ष नियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई है।

(iii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग मांग के अनुरूप अर्हताओं का निर्धारण करें, उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों से संबद्ध करें तथा उद्योग से उनका प्रमाणीकरण प्राप्त करें।

(iv) विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास की आवश्यकताओं को अभिचिन्हित करने तथा कौशल दक्षता मानकों का निर्धारण करने के लिए संबंधित क्षेत्रों के उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में 36 सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) स्थापित की गई हैं।

(v) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत नव युगीन/भावी कौशल आधारित जॉब रोल्स को कृत्रिम मेधा/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में इंडस्ट्री 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि भावी बाजार मांग एवं उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

(vi) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा फ्लेक्सी एमओयू योजना तथा दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य आईटीआई के प्रशिक्षुओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक परिवेश में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(vii) प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव युगीन/भावी कौशल ट्रेड प्रारंभ किए हैं।

(viii) प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

(ix) प्रमाण-पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों को रोजगार एवं शिक्षुता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल महोत्सव तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन किया जाता है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 27.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1324 के भाग (क से घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

तालिका 1: **तमिलनाडु** राज्य के **रामनाथपुरम** जिले में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत सत्र 2025-26 हेतु **आईटीआई-वार** सीटों की संख्या तथा नामांकन का विवरण।

क्र.सं.	**आईटीआई का नाम**	**सत्र 2025-26 हेतु सीटों की संख्या**	**सत्र 2025-26 में नामांकन**
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाकुडी	548	392
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामनाथपुरम	452	383
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुदुकुलाथुर	236	193
4	मोहम्मद साथक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	136	35
5	गणपति निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	68	14
6	सेंट एंटनी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	44	25
7	एन एम एस सेतु नादर नेल्लाई अम्मल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	88	7
कुल		**1572**	**1049**

तालिका 2: तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में संचालित किए जा रहे ट्रेडों का विवरण

क्र.सं.	**ट्रेड का नाम**
1.	एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन
2.	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट
3.	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)
4.	इलेक्ट्रीशियन
5.	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
6.	फिटर
7.	इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन
8.	मशीनिस्ट
9.	मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल और ऑटोमेशन
10.	मैकेनिक (मोटर व्हीकल)
11.	मैकेनिक डीजल
12.	मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल
13.	रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन
14.	सिलाई टेक्नोलॉजी
15.	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)
16.	स्पिनिंग टेक्नीशियन
17.	टर्नर
18.	वेल्डर
19.	वायरमैन

अनुलग्नक-II

दिनांक 27.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1324 के भाग (क से घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

तालिका-3 : तमिलनाडु राज्य में सत्र 2025-26 के लिए **सीआईटीएस** एवं सीटीएस के अंतर्गत **एनएसटीआई-वार** सीटों की संख्या तथा नामांकन का विवरण।

क्र.सं.	**एनएसटीआई का नाम**	**सीआईटीएस**		**सीटीएस**	
		सत्र 2025-26 में सीटों की संख्या	सत्र 2025-26 में नामांकन	सत्र 2025-26 में सीटों की संख्या	सत्र 2025-26 में नामांकन
1	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई), चेन्नई	675	411	68	31
2	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) त्रिची	50	17	72	34
कुल		**725**	**428**	**140**	**65**

तालिका-4 : तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में संचालित ट्रेडों का विवरण:

क्र.सं.	**सीआईटीएस के अंतर्गत संचालित ट्रेड**	**क्र.सं.**	**सीआईटीएस के अंतर्गत संचालित ट्रेड**
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन	1	फ़ैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी
2	ड्राफ्ट्समैन सिविल	2	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
3	इलेक्ट्रीशियन	3	कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग मेंटेनेंस
4	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	4	ड्रोन टेक्नीशियन
5	फिटर	5	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)
6	मैकेनिक डीजल	6	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
7	मैकेनिक मोटर व्हीकल		
8	प्लम्बर		
9	सर्वेयर		
10	टूल एंड डाई मेकर		
11	वेल्डर		
12	वुड वर्क टेक्नीशियन		
13	सिलाई टेक्नोलॉजी		
14	फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी		
